R-963-PBR/14

श्री जगदीश जैन अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 6/1/14 को प्रस्तुत

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर कैम्प, भोपाल

प्रकरण क्रमांक

सरदार आ० स्व० श्री शब्बीर अहमद निवासी
कस्बा बम्होरी तहसील सिलवानी जिला रायसेन ---निगरानीकर्त्ता

विरुद्ध

१- सखावत मोहम्मद आ० स्व० श्री सरदार खां,
निवासी कस्बा बम्होरी तहसील सिलवानी
जिला रायसेन,

२- म०प्र० शासन द्वारा जिलाधीश महोदय,
जिला रायसेन (म०प्र०) ------- प्रतिनिगरानीकर्त्ता

म०प्र० भू-राजस्व संहिता, १९५९ की धारा ५० के अन्तर्गत निगरानी

महोदय,

निगरानीकर्त्ता द्वारा विद्वान अपर आयुक्त महोदय भोपाल के प्रकरण क्रमांक ३४७।अपील।११-१२ में पारित आदेश दिनांक ९-१२-२०१३ से असंतुष्ट एवं दु:खित होकर यह निगरानी निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत की जा रही है।

---०००---

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 963–पीबीआर/2014 जिला रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30–5–2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 9–12–2013 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रकरण में 2 बार स्थल निरीक्षण किया गया है, और दोनों बार ही आवेदक का शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया है । आवेदक द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज अथवा प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर उसका अवैध कब्जा नहीं होकर उसके स्वत्व, स्वामित्व की भूमि है । इसी आशय के निष्कर्ष अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा भी निकाले गए हैं । अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गए विधिसंगत समवर्ती निष्कर्षों में प्रथम दृष्टया हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	